न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :96/2018 (अपील)

उनवान

1. प्रेमप्रकाश आत्मज श्री छीतरलाल आयु वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा राज0

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. भंवरलाल आत्मज श्री प्रभूलाल जाति कुमावत
2. राजेश कुमार आत्मज श्री भंवरलाल जाति कुमावत
3. मनोज कुमार आत्मज श्री भंवरलाल जाति कुमावत निवासीगण म0न0 194, विवेकानन्द नगर मेडिकल कॉलेज के पीछे कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा

रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री अनिल डी0एस (अभिभाषक रेस्पोडेण्टस की ओर)

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 15.05.2018,न्यायालय तहसीलदार सांगोद जिला कोटा बउनवान भंवरलाल,राजेश कुमार बनाम सरकार

निर्णय दिनांक : 07.11.2024

.1 अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगोद के द्वारा आदेश दिनांक 15.05.2018 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

.3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार बिरधीबाई के वारिसान की जांच किये बिना उन्हे सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा आदेश पारित कर दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बिरधीबाई बैवा गाडिया लाऔलाद थी, जो अपीलाण्ट के पास ग्राम कनवास में ही रहने लगी

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

थी, अपीलाण्ट ने ही उनकी सेवा,देखरेख व तिमारदारी की थी जिससे प्रसन्न होकर बिरधीबाई ने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की अंतिम वसीयत दिनांक 23.06.1998 अपीलाण्ट के पक्ष में आलेखित की थी और श्रीमति बिरधीबाई की मृत्यु पश्चात बिरधीबाई की ग्राम कनवास व ग्राम सांगोद स्थित कृषि आराजी व अन्य सम्पत्ति उक्त अंतिम वसीयत दिनांक 23.06.1998 के अनुसार अपीलाण्ट को ही प्राप्त हुई है। उक्त अंतिम वसीयत दिनांक 23.06.1998 के आधार पर नायब तहसीलदार सांगोद द्वारा बिरधीबाई की ग्राम कनवास की आराजी ख0न0 1275 का इंतकाल वसीयत को प्रमाणित मानकर अपीलाण्ट के पक्ष में तस्दीक किया जा चुका है, जिसकी जानकारी स्वंय रेस्पोडेन्ट व अधीनस्थ न्यायालय को भी प्रारम्भ से रही है। ग्राम लक्ष्मीपुरा की अपील विषयक आराजी का इंतकाल भी बिरधीबाई की अंतिम वसीयत दिनांक 23.06.1998 के आधार पर अपीलाण्ट के नाम ही तस्दीक किया जाना है, किन्तु रेस्पोडेन्ट ने बदनियती व बेईमानी पूर्वक अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना गुपचुप तरीके से बिना किसी प्रक्रिया व जांच के आदेश जैर अपील पारित करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। कानून अंतिम वसीयत ही प्रभावी होती है रेस्पोडेन्ट द्वारा बताई गई तथाकथित वसीयत दिनांक 31.03.1995 की है जबकि अपीलाण्ट के पक्ष में बिरधीबाई द्वारा आलेखित वसीयत दिनांक 23.06.1998 की है जो उनकी अंतिम वसीयत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 न01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 23.04.2018 को पटवारी हल्का को मृतक बिरधीबाई के वारिसान व कब्जे काश्त की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश किये जाने तथा वसीयत की सत्यता की जांच हेतु गवाहान को तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया था, किन्तु फिर बाद में रेस्पोडेन्ट ने बिना किसी तारीख पेशी के अचानक दिनांक 02.05.2018 को अपने गवाहान प्रस्तुत किये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी रेस्पोडेन्ट के प्रभाव में आकर अपने ही पूर्व आदेश के विपरीत जाकर मृतक खातेदार बिरधीबाई के वारिसान की जाच किये बिना और उन्है सुनवाई का कोई नोटिस दिये बिना पूर्णतयाः आर्बिट्रेटरी रूप से दिनांक 15.05.2018 को रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 31.03.1995 के आधार पर ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी का नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत दिनांक 31.03.1995 के वसीयतग्रहिता रेस्पोडेनट न0 2 व 3 राजेश व मनोज कुमार द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और ना ही उक्त तथाकथित वसीयतग्रहिता रेस्पोडेन्ट न0 2 व 3 राजेश कुमार व मनोज कुमार द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वसीयत दिनांक 31.03.1995 के आधार पर अपने हक अधिकार क्लेम किये और ना ही उक्त रेस्पोडेनट न0 2 व 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई बयान प्रस्तुत किये। बल्कि अधीनस्थ न्यायालय के यहां उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2018 को असम्बन्धित व्यक्ति रेस्पोडेन्ट न0 1 भंवरलाल पुत्र प्रभूलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बयान भी भंवरलाल ने ही दर्ज करवाये थे, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय के यहा उक्त नामान्तकरण कार्यवाही कानून मेन्टेनेबल ही नहीं थी, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया। मूल वसीयत का प्रस्तुत किया जाना और उसे साबित करवाया जाना कानून आवश्यक है किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वसीयत प्रस्तुत न कर केवल छायाप्रति पेश की गई थी जो कानून साक्ष्य मे ग्राह्य भी नहीं है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने छायाप्रति के आधार पर आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा

अति. जिला कलक्टर
कोटा

प्रस्तुत किसी भी गवाह ने उक्त वसीयत दिनांक 31.03.1995 को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 व भारतीय साक्ष्य अधिनयिम की धारा 68 व 69 के अनुसार प्रमाणित नही किया। वसीयत के गवाह बद्रीलाल द्वारा भी अपने बयान में यह कहीं भी साबित नहीं किया गया कि मृतक बिरधीबाई द्वारा उसके समक्ष उक्त वसीयत दिनांक 31.03.1995 पर अपनी अंगूठा निशानी की गई थी और मृतक ब्रिरधीबाई के कहने से उसके व अन्य गवाह द्वारा उक्त वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किये गथे थे। इसी प्रकार वसीयत के दूसरे अनुप्रमाणक गवाह छोटूलाल के पुत्र सत्यनारायण के द्वारा भी अपने बयानो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के अनुसार उक्त वसीयत पर गवाह के रूप में अपने पिता छोटूलाल के हस्ताक्षरो की पहचान नहीं की गई और न ही साबित किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त अनुप्रमाणक गवाहान् द्वारा वसीतत की प्रमाणिकता साबित नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रस्तुत उक्त वसीयत दिनांक 31.03.1995 रेस्पोडेन्ट न02 राजेश कुमार व रेस्पो0 न03 मनोज कुमार के पक्ष में निष्पादित होना बताया गया है जबकि वसीयत का गवाह बद्रीलाल अपने बयानो में उक्त वसीयत केवल मनोज कुमार के पक्ष में आलेखित किया जाना बताता है जिससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त वसीयत पूर्णतयाः झूठी व संदेहास्पद है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गवाह बद्रीलाल द्वारा दिये गये बयानो से यह भी उभरकर आया है कि उक्त वसीयत दिनांक 31.03.1995 बिरधीबाई द्वारा स्वेच्छा से निष्पादित नहीं की गई है बल्कि उक्त वसीयत पर रेस्पोडेनट न01 भंवरलाल व रेस्पोडेन्ट न03 मनोज कुमार द्वारा अपने फायदे के लिये एक्टिव पार्ट अदा कर निष्पादित करवायी गई है जिससे भी वसीयत की प्रमाणिकता संदेहास्पद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो गवाह बाबू मुस्तकीय प्रस्तुत किया गया है,उसके द्वारा तो वसीयत की जानकारी से ही इंकार किया गया है और अन्य गवाहान् द्वारा भी उपर वर्णित अनुसार वसीयत को प्रमाणित नहीं किया गया है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी स्पष्ट था कि उक्त आराजी के सम्बन्ध में अन्य सह खातेदार श्रीनाथ पुत्र कान्हा द्वारा प्रस्तुत वाद में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत् स्थगन आदेश दिनांक 17.05.2017 पारित किया हुआ है,जिसकी जानकारी स्वंय तहसीलदार सांगोद को थी और स्वंय तहसीलदार द्वारा जमाबंदी में स्थगन आदेश का नोट अंकित किये जाने व पटवारी हल्का को आदेश की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया हुआ है जिसके कारण रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश होने से उक्त भूमि के सम्बन्ध में सामान्तकरण का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के यहां पक्षकार नहीं बनाया गया है। मृतक खातेदार बिरधीबाइ द्वारा अंतिम वसीयत दिनांक 23.06.1998 के पक्ष में आलेखित की गई है। बिरधीबाई की ग्राम कनवास स्थित आराजी उक्त अंतिम वसीयत दिनांक 23.06.1998 के आधार पर अपीलाण्ट के खाते व कब्जे काश्त में चली आ रही है। अतः अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगोद द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 निरस्त फरमाया जावे और अपील विषयक आराजी ख0न0 478 की रकबा 0.07 है0 ख0न0 479 की रकबा 0.07 है0 ख0न0 483 पश्चिमी की रकबा 2.64 है0 ख0न0 612 पश्चिमी की रकबा 3.33 है0 कुल 6.11 हैक्टर वाके ग्राम

अति. जिला कलक्टर
कोटा

लक्ष्मीपुरा तहसील सांगेद जिला कोटा में बिरधीबाई बैवा गाडिया जाति कुमावत का नामान्तकरण अंतिम वसीयत दिनांक 23.06..1998 के अनुसार अपीलाण्ट के पक्ष में तस्दीक करने का आदेश फरमावे।

4. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि दो वसीयते समक्ष है। मेरे पक्ष मे दो वसीयत पेश की गई।क्या इंतकाल की अपील में किसी वसीयत की वैधता पर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है क्या। इस अदालत को इस वसीयत की सत्यता तय करने का अधिकार नहीं है। वसीयत के सम्बन्ध श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। बल्कि सिविल न्यायालय का अधिकार प्राप्त है। वसीयत के सम्बन्ध सिद्ध करने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा पेश करना चाहिए उक्त दावे में भी साक्ष्य से ही वसीयत सिद्ध हो सकेगी। वसीयत नामा को सिविल कोर्ट चेलेन्ज करे। अतः वसीयत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2017 (1) सी0जे0 (सी0आई0वी) (राज0) पेज 542, ए0आई0आर 1992 मध्यप्रदेश पेज 224, देवकृष्णा राइकवार वी0एस स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश दिनांक 27.08.2024 प्रस्तुत किऐ गये जिनका भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

5. वकील अपीलाण्ट का बहस में कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार बिरधीबाई पत्नी श्री गाडिया के वारिसान की जांच किये बिना उन्हे सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वसीयत प्रस्तुत न कर केवल छायाप्रति पेश की गई थी जो कानून साक्ष्य मे स्वीकार भी नहीं है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने छायाप्रति के आधार पर आदेश पारित कर दिया। उक्त आराजी के सम्बन्ध में अन्य सह खातेदार श्रीनाथ पुत्र कान्हा द्वारा प्रस्तुत वाद में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत् स्थगन आदेश दिनांक 17.05.2017 पारित किया हुआ है, जिसकी जानकारी स्वंय तहसीलदार सांगोद को थी और स्वंय तहसीलदार द्वारा जमाबंदी में स्थगन आदेश का नोट अंकित किये जाने व पटवारी हल्का को आदेश की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया हुआ है जिसके कारण रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश होने से उक्त भूमि के सम्बन्ध में नामान्तकरण का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के यहां पक्षकार नहीं बनाया गया है। मृतक खातेदार बिरधीबाई द्वारा अंतिम वसीयत दिनांक 23.06.1998 के पक्ष में आलेखित की गई है। बिरधीबाई की ग्राम कनवास स्थित आराजी उक्त अंतिम वसीयत दिनांक 23.06.1998 के आधार पर अपीलाण्ट के खाते व कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट वकील का कथन रहा है कि क्या इंतकाल की अपील में किसी वसीयत की वैधता पर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है क्या। इस अदालत को इस वसीयत की सत्यता तय करने का अधिकार नहीं है। वसीयत के सम्बन्ध श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। बल्कि सिविल न्यायालय का अधिकार प्राप्त है। वसीयत के सम्बन्ध सिद्ध करने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा पेश करना चाहिए उक्त दावे में भी

अति. जिला कलक्टर
कोटा

साक्ष्य से ही वसीयत सिद्ध हो सकेगी। वसीयत नामा को सिविल कोर्ट चेलेन्ज करे। अतः वसीयत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2017 (1) सी0जे0 (सी0आई0वी) (राज0) पेज 542, ए0आई0आर 1992 मध्यप्रदेश पेज 224, देवकृष्णा राइकवार वी0एस स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश दिनांक 27.08.2024 प्रस्तुत किऐ गये जिनका भी ससम्मान अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है। किसी वसीयत की वैधानिकता तय करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। किसी वसीयत की 'Genuineness' तय करने की अधिकारिता सिविल कोर्ट को है। साथ ही दौरान बहस अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि प्रकरण वर्तमान मे उपखण्ड अधिकारी सांगोद के यहां विचाराधीन चल रहा है। न्यायालय तहसीलदार सांगोद द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 15.05.2018 में किसी प्रकार का दखल देना उचित नहीं समझता अपीलाण्ट सक्षम कोर्ट से वसीयत की वैधानिकता तय करवाकर अनुतोष प्राप्त करते हेतु स्वतंत्र है।

7 परिणामस्वरूपः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 7.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अति. जिला कलक्टर
कोटा, कोटा